# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

*पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.*

*(प्रथम लिंक अधिकारी)*

2025-702RAAJodhpur2025-192RTA225 Kaluram ors Vs Ghamandaram etc

01. कालूराम पुत्र श्री नारणाराम
02. गिरधारीराम पुत्र देदाराम
03. जैसाराम पुत्र खंगाराराम
    कौम मेगवाल निवासी पावू भाखरी (करना) तहसील– सिणधरी जिला बालोतरा।

**अपीलाण्ट्स ...**

**ब**
**ना**
**म**

1. घमडाराम पुत्र श्री नगाराम
2. मोहनराम पुत्र श्री नगाराम
3. उदाराम पुत्र श्री नगाराम
4. केशाराम पुत्र श्री नगाराम
5. चुनाराम पुत्र श्री नगाराम
6. रावताराम पुत्र श्री देदाराम
7. घुड़ाराम पुत्र खंगाराराम
8. श्रीमति लोंगों देवी धर्मपत्नी श्री खंगाराराम
   कौम मेगवाल निवासी पावू भाखरी (करना) तहसील– सिणधरी जिला बालोतरा।
9. श्री शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई. शाखा स्थान भूका भगतसिंह तहसील– सिणधरी जिला बालोतरा।
10. श्री तहसीलदार सिणधरी जिला बालोतरा।

**रेस्पो. ...**

**अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**
**बरखिलाफ आदेश दिनांक 19 नवंबर 2025 सहायक कलेक्टर एवं**
**उपखण्ड अधिकारी सिणधरी राजस्व प्रार्थना पत्र सं 48/2024**
**अनवान घमण्डाराम व अन्य बनाम कालूराम इत्यादि**

---

**उपस्थित–**
श्री हरीराम चौधरी, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स
श्री जागराज पोटलिया, अधिवक्ता रेस्पोडेंट्स

## नि र्ण य

**दिनांक : 25 फरवरी 2026**

अपीलाण्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सिणधरी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 48/2024 अनवान घमण्डाराम व अन्य बनाम कालूराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 19 नवंबर 2025 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काष्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 22 दिसंबर 2025 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक से पांच ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत आवेदन

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

प्रस्तुत कर अपने खातेदारी खसरा नंबर 277/4 एवं खसरा नंबर 277 मौजा पाबूभाखरी तहसील सिणधरी में आवागमन हेतु अपीलांट्स एवं रेस्पो. की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 277/2 में से रास्ता चाहा गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत अपीलाधीन आदेश दिनांक 19 नवंबर 2025 के जरिये रेस्पोंडेंट संख्या एक से छः का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों की अवेहलना करते हुए पारित किया गया है। अपीलांट्स की ओर से मौका प्रथम मौका रिपोर्ट पर आपत्ति कर निवेदन किया गया कि मौके पर अपीलांट्स की भूमि खसरा संख्या 277/2 में से प्रस्तावित स्थान पर अपीलान्टगण की डिग्गी (वाटर पॉड) बनी हुई है, जिससे सिंचाई की जा रही है व पुराने समय से बने बंधे का हिस्सा पूरी तरह प्रभावित हो रहा है, एवं प्रस्तावित रास्ते के ऊपर समान्तर विधुत लाईन गुजर रही है व अपीलान्टगण के लिए डी.पी. लगी हुई है इसलिये रास्ता दिया जाना कतई सम्भव ही नही है, जबकि इसी के सेढ़ा सेढ़ खसरा नम्बर 278 मौके पर खाली है व निकटतम दूरी भी है। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त आपत्तियॉ स्वीकार कर पुनः मौका रिपोर्ट तलब की गई थी, किंतु विचारण न्यायालय ने प्रार्थीगण/रेस्पो. के दबाव व प्रभाव में आकर अपीलान्टगण के कब्जा व खातेदारी हक की भुमि को येनकेन अनावश्यक क्षतिकारित करने, उनके पुराने द्वारा समय से बनाये गये बंधे को तहस–नहस करने एवं डिग्गी (वाटर पॉड) को तोड़ने की दुर्भावना से कानून व न्याय को ताक पर रखकर प्रथम मौका रिपोर्ट के आधार पर एकपक्षीय मंशा व प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपीलाधीन आदेश की पालना में मौके पर रास्ता निकाला जाता है तो अपीलांट द्वारा मौके पर बनायी गई डिग्गी क्षतिग्रस्त होगी तथा अपीलांट्स को अपूरणीय क्षति होगी। इन परिस्थतियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिक प्रावधानों एवं धारा 251–ए की मंशा के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 19 नवंबर 2025 को खारिज फरमाया जावे।

जबाब में अधिवक्ता रेस्पो. ने अपीलांट्स के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए कथन किया कि रेस्पो. संख्या एक से पांच एवं अपीलांट्स मूल खसरा नंबर 277 के ही खातेदार काश्तकार है तथा रिश्ते भी भाई लगते है। मूल खसरा नंबर 277 सड़क से लगता है। वक्त विभाजन अपीलांट्स द्वारा मौके पर रास्ता छोड़ा गया है। रेस्पो. द्वारा अपने मूल खसरे में से ही रास्ता चाहा गया है। यह उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा स्वयं मौके पर जाकर मौका निरीक्षण किया गया, जहां मौके पर डिग्गी के पास से रास्ते के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध पायी गई है। विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रस्तुत मौका फर्द के आधार पर धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की मंशा अनुरूप लघुतम एवं निकटतम रास्ते का विधिसम्मत आदेश पारित किया है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 20.06.2024 के अवलोकन मुताबिक रेस्पो. संख्या एक से पांच के खातेदारी खेत खसरा नंवर 277/4 एवं खसरा नंबर 277 में आवागमन हेतु अपीलांट्स की खातेदारी भूमि खसरा नंवर 277/2 में से लघुतम एवं निकटतम रास्ता बताया गया है। अपीलांट्स की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष आपत्तियॉ प्रस्तुत किये जाने पर विचारण न्यायालय द्वारा तलब मौका रिपोर्ट दिनांक 07.07.2025 में खसरा नंबर 278 में समान दूरी का रास्ता बताया गया है। पैरोकार सरकार द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष खसरा नंबर 277/2 की भूमि की बाहरी सीमा एवं डिग्गी के बीच में रास्ते हेतु पर्याप्त भूमि उपलब्ध होने के कथन किये गये है, जहां से 12 फीट चौड़ाई में रास्ता उपलब्ध है। यह उल्लेखनीय है कि खसरा नंबर 277/4, 277 एवं 277/2 मूल खसरा नंबर 277 के भाग है। रेस्पो. संख्या एक से पांच पड़ौसी खसरे के बजाय अपने मूल खसरे में से रास्ता प्राप्त करने के अधिकारी है। विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत धारा 251 की मंशा के अनुरूप एवं राजकीय पैरोकार की दलील एवं मौका फर्द दिनांक 20.06.2024 के लघुतम एवं निकटतम रास्ते का विधिसम्मत आदेश पारित किया जाना पाया जाता है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की मंशा अनुरूप लघुतम रास्ते का विधिसम्मत आदेश पारित किये जाने से अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट गुणावगुण पर स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सिणधरी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 48/2024 अनवान घमण्डाराम व अन्य बनाम कालूराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 19 नवंबर 2025 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर